36

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक- प.9(27)कार्मिक/क-5/93 जयपुर, दिनांक 18-

1- समस्त विभागाध्यक्ष,
(जिला कलेक्टरों सहित)

2- राज्य संचालित उपक्रम /निगम/बोर्ड व
स्वायत्तशासी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं
प्रबन्ध सचिव संचालक,

superseded

परिपत्र

विषय- राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण बाबत-

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं.प.9(8) कार्मिक(क-5)90 दिनांक 29.9.93 द्वारा राज्य सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21% (इक्कीस प्रतिशत) जो दिनांक 1.9.93 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना सं.प.11(125) आर.एन्ड.पी./एसडब्लूडी/88631 दिनांक 27.8.93 द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गई जातियों और वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1- उक्त वर्ग के प्रत्याशियों का समाज कल्याण/नियोजन कार्यालयों में पंजीकरण आवश्यक है।

2- समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा, राज्य संचालित उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि के अधिकारियों द्वारा भविष्य में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक आरक्षित पदों के रिक्त होने की सूचना समाज कल्याण विभाग/नियोजन विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे, जिससे कि उक्त विभागों में सृजित प्रकोष्ठ में पंजीकृत प्रत्याशियों के नियोजन कार्य में गति आ सके।

3- आरक्षित पदों पर भर्ती हेतु समाज कल्याण विभाग /नियोजन विभाग के उक्त प्रकोष्ठ के प्रभारी से प्रत्याशियों की सूची मांगी जावे। इसके अतिरिक्त उन अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों को भी साक्षात्कार के लिये बुलाया जावे जिन्होंने कि अपने प्रार्थना पत्र (उक्त जाति का होने का प्रमाण-पत्र सहित) सीधे नियुक्ति-कर्ता अधिकारियों को प्रस्तुत किये हों, अर्थात तीनों सूचियों (नियोजन कार्यालय, समाजकल्याण एवं सीधे से प्राप्त प्रार्थना पत्रों) में से योग्यता के आधार पर किया जावे।

शासन सचिव

---2

37

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।

2- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव।

3- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

4- प्रतिलिपि-निदेशक, समाज कल्याण विभाग/नियोजन विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों की सूची मांगने पर वांछित सूची उपलब्ध कराने सम्बन्धी समुचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

5- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

4- निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

5- निबन्धक, राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

उप शासन सचिव